



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०

"खाद्य भवन" दरोगा राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२ पटना ८००००१

आदेश

केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना अंतर्गत चावल बांटने के मद में औपबंधिक अनुदान भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा दिये गये गारंटी के अनुपालन में बैंक ऑफ इंडिया, बी०सी०पी० मार्ग शाखा के खाता संख्या 441030110000016 में प्राप्त कुल रु. 592,74,52,860=00 करोड़ की राशि को निम्नवत् वापस करने की स्वीकृति दी जाती है, जो इस प्रकार है-

क्र०	बैंक का नाम	अधिप्राप्ति वर्ष	खाता संख्या	राशि (रुपये करोड़ में)
1.	आन्ध्रा बैंक	2016-17	041813100000344	1,36,50,00,000.00
2.	बैंक ऑफ इंडिया		441030110000039	60,00,00,000.00
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा		18630400000509	45,25,00,000.00
4.	कॉरपोरेशन बैंक		032300401170001	1,16,75,00,000.00
योग :-				3,58,50,00,000.00
5.	केनरा बैंक	2014-15	0352261000622	1,17,00,00,000.00
6.	इंडियन बैंक		6092516751	1,17,24,52,860.00
योग :-				2,34,24,52,860.00
कुल योग:- (पाँच सौ बिरानवे करोड़ चौहत्तर लाख बावन हजार आठ सौ साठ रुपये)				5,92,74,52,860.00

इस प्रकार, सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 के लिए प्रदत्त रु.2,000 (दो हजार) करोड़ की गारण्टीयुक्त ऋण की अदायगी के लिए रुपये 358=50 (तीन सौ अठ्ठावन करोड़ पचास लाख) मात्र लौटाते हुए ब्याज सहित गारण्टी राशि की पूर्ण अदायगी की जाती है। साथ ही बिना सरकार की गारण्टी के खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में लिए गए ऋण के विरुद्ध कुल रु.546=91 करोड़ बकाया शेष है। बकाया शेष में से रु.2,34,24,52,860=00 मात्र को भी वापस करने का आदेश दिया जाता है।

ह०/-
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक-04:09:192:02:2015 (पार्ट-II) - 3911 वित्त, पटना/दिनांक-18/4/18
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक